न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 149 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 नारणाराम पुत्र कुछलाराम जाति जाट निवासी रामसरिया खींपर तहसील बाटाड़ू व जिला बाड़मेर		1 आदुराम पुत्र कुछलाराम के कायम मुकाम 1/1.जेठाराम 1/2.गोमाराम 1/3.पेमाराम 1/4.भूराराम पिसरान आदुराम 1/5. हड़मानराम पुत्र आदुराम के कायम मुकाम 1/5/1. जोगाराम पुत्र हड़मानराम 1/5/2.भीखीदेवी पत्नी हड़मानराम 2. मदरूपराम पुत्र प्रहलादराम 3.देवाराम पुत्र पुरखाराम जातियान जाट निवासीयान रामसरिया खींपर तहसील बाटाड़ू व जिला बाड़मेर 4.तहसीलदार बाटाड़ू।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री नरपत पूनड़, वकील प्रार्थीगण।
2. श्री कुम्भसिंह चौधरी वकील अप्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 22.04.2025

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत मौजा रामसरिया तहसील बाटाड़ू व जिला बाड़मेंर के खसरा संख्या 134 रकवा 34.19 वीघा खसरा संख्या 266 रकवा 289.4 वीघा, खसरा संख्या 600 रकवा 174.2 वीघा, खसरा संख्या 264 रकवा 00.12 वीघा, खसरा संख्या 265 रकवा 01.06 वीघा, खसरा संख्या 597 रकवा 00.05 वीघा, खसरा संख्या 598 रकवा 02.04 वीघा, खसरा संख्या 599 रकवा 00.13 वीघा आया हुआ है। उक्त भूमि के सवंध में प्रार्थी व प्रार्थी के भाई आदूराम द्वारा एक वंटवाड़ा का वाद श्रीमान परगना अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश बाड़मेंर संख्या 66/76 वअनवान नारणा वगैरा वनाम पैलाद वगैरा के निर्णय दिनांक 15.01.1977 की पालना में ना.क.सं. 231 स्वीकृत किया गया तथा मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व नक्शा में जो वंटवाड़ा किया गया वह परिशिष्ठ "अ" में बरंग लाल से दर्शाया गया है जो सहीं है तथा उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम भी कर दी गई। निर्णय व डिकी की पालना में राजस्व रेकर्ड में तरमीम सहीं की गई लेकिन बाद में विना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के तथा प्रार्थीगण की सहमति के बिना गलत तरमीम कर दी गई जिसको परिशिष्ठ "व" नक्श बरंग "हरा" से दर्शाया गया है। उक्त लटठा ट्रेस में दर्ज गलत तरमीम दुरस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी हैं। अतः मौजा रामसरिया तहसील बाटाड़ू व जिला बाड़मेंर के खसरा संख्या 134 रकबा 34.19 बीघा खसरा संख्या 266 रकवा 289.4 बीघा, खसरा संख्या 600 रकबा 174.2 बीघा, खसरा संख्या 264 रकबा 00.12 बीघा, खसरा संख्या 265 रकबा 01.06 बीघा, खसरा संख्या 597 रकबा 00.05 बीघा, खसरा संख्या 598 रकबा 02.04 बीघा, खसरा संख्या 599

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

कबा 00.13 बीघा लट्ठा ट्रेस में की गई अशुद्ध व गलत तरमीम को दुरस्त कर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार लट्ठा ट्रेस सही तरमीम का आदेश फरमावे।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर तहसीलदार से मौका व रेकर्ड की रिपोर्ट तलब की गई। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित।

अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने का अवसर दिया गया, जवाब पेश नहीं किया गया इसलिए जवाब पेश करने का अवसर बंद किया।

प्रकरण में तहसीलदार बाटाडू द्वारा मौका रिपोर्ट अपने पत्रांक भू.अ./2025/191 दिनांक 12.02.2025 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा रामसरिया तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेंर के मूल खसरा संख्या 600 के विभाजनहोने के बाद विभाजन किया गया जिसके मौके व रेकर्ड की जांच करने पर पाया गया कि नये खसरो 710/600, 709/600, 600, 774/600, 773/600 की तरमीम रकवा के अनुसार परिशिष्ठ "अ" के अनुसार है जो कि गलत है जिसको संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित हैं बाकी शेष खसरान 134, 266, 264, 265, 597,599 की तरमीम लट्ठा ट्रेस में सहीं हैं।

मौजा रामसरिया पटवार हल्का खींपर तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेंर के खसरा संख्या भूमि का राजस्व रेकर्ड लट्ठा ट्रेस में उक्त खसरों की तरमीम मौके अनुसार न होकर अशुद्ध तरमीम संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है, तथा मौके पर कब्जा संलग्न नक्शा परिशिष्ट "ब" अनुसार है। दोनो पक्षकारान प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा मौका पर कब्जा अनुसार तरमीम दुरस्त करने पर सहमति प्रदान करते हुए हस्ताक्षर किये हैं। तहसीलदार बाड़मेर की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित हैं प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती से किसी भी काश्तकार का रकबा प्रभावित नहीं हो रहा है तथा सभी पक्षकारान इससे सहमत है।

उक्त मौका रिपोर्ट पर उभय पक्षों को सुना गया। उभय पक्षों द्वारा तहसीलदार बाटाडू की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौजा रामसरिया पटवार हल्का खींपर तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेंर के खसरा संख्या 710/600, 709/600, 600, 774/600, 773/600 की लट्ठा ट्रेस में अशुद्ध तरमीम को निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने पर अपनी सहमति प्रकट की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2074–2077, नक्शों एवं संलग्न परिशिष्टों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाटाडू ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौका पर कब्जा संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "ब" के अनुसार है तथा प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती हेतु खातेदार द्वारा सहमति प्रकट की गई है। अतः 710/600, 709/600, 600, 774/600, 773/600 भूमि की संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। लिहाजा मौजा रामसरिया पटवार हल्का खींपर तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेंर के 710/600, 709/600, 600, 774/600, 773/600 भूमि की वर्तमान लट्ठा ट्रेस तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र उभय पक्षों की सहमति पर स्वीकार किया जाकर मौजा रामसरिया पटवार हल्का खींपर तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेंर के 710/600, 709/600, 600, 774/600, 773/600 भूमि की वर्तमान तरमीम जो कि प्रपत्र "अ" के अनुसार है को निरस्त की जाकर तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाटाडू तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ "ब" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 22.04.2025 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर